GRAMS: ENERPOWER

No.A. 35018/3/2012-Adm.I
भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001
Telephone No. 23715507; FAX No. 23717519

Dated :

05 SEP 2014

To

(1) Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
(2) Chairperson, Central Electricity Authority.
(3) Chairman/Heads of all Public Sector Undertakings/Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Power.
(4) Chairperson of all the State Electricity Boards/Power Utilities.
(5) Power Secretaries of all the State Governments/Union Territories.
(6) Vice Chancellors of all Universities/ Head of all IITs/IIMs.
(7) Chairman, Engineers India Ltd.
(8) Secretary, PESB, New Delhi.

Subject: Appointment to the posts of Member (Power System), Member (Thermal) & Member (Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority, on deputation/short-term contract basis – inviting fresh applications for – re-advertisement – regarding.

Sir,

I am directed to say that the vacancies for the posts of Member (Power System) and Member(Thermal) were circulated, vide this Ministry's letter No.A.35018/3/2012-Adm.I dated 25.07.2013 and vacancy for the post of Member (Grid Operation & Distribution) was circulated, vide this Ministry's letter No. A.35018/3/2013-Adm.I dated 02.01.2014, for filling up on deputation/Short-term contract basis.

2. It has now been decided to invite fresh applications for the above mentioned posts. Those who have applied earlier in response to the above mentioned circulars need to apply afresh, if eligible.

3. The post of Member in the Central Electricity Authority carries the scale of pay of Rs.22400-525-24500/- (Pre-revised) [Rs.67000-79000 (Revised)] with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India. The incumbent of the post is entitled to other allowances/benefits as per rules of the Central Government.

4. Appointment to the post of Member in the Central Electricity Authority is being made in accordance with the provisions contained in Section 70 of the Electricity Act, 2003 read with the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005.

5. Section 70 (5) of the Electricity Act, 2003 provides that the Members of the Authority shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have knowledge of, and adequate experience and capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics or industrial matters, and at least one Member shall be appointed from each of the following categories, namely:

(a) engineering with specialization in design, construction, operation and maintenance of generating stations;
(b) engineering with specialization in transmission and supply of electricity;
(c) applied research in the field of electricity;

6.(**A**) In terms of the provisions contained in the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005, no person shall be eligible for appointment to the office of a Member unless he has held:

(a) the post of Chief Engineer or equivalent in the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (pre-revised) [Rs.37400-67000 + Grade pay of Rs.10000 (Revised)] or higher post or scale of pay on a regular basis for at least five years under the Central Government or a State Government;

or

a post equivalent to that of a post mentioned above, under a State Electricity Board or a semi-Government Organisation or a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body or a Statutory Body or a University or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least five years; and

(b) The person would also need to possess a minimum of three years' field experience in the relevant field as defined in sub-section (5) of section 70 of the Electricity Act.

B. Applications can also be submitted by Chief Engineers or equivalent officers who have put in 30 years of total Group 'A' service and 3 years of qualifying service in SAG with the requisite field experience as per the relevant criteria.

7. The duties and responsibilities attached to the posts of Member (Power System), Member (Thermal) & Member (Grid Operation & Distribution), CEA, are given at **Annexure-I.**

8. The Member shall hold office during the pleasure of the Central Government. Appointment to the post would normally be made for a period of five years, which shall be restricted to the date on which the incumbent of the post attains the age of superannuation. The officer selected will not be eligible for permanent absorption in the

CEA. The maximum age limit for appointment to the post shall be **58 years** as on the closing date for receipt of applications.

9. The crucial date for determination of eligibility of applicants for the post will be the closing date for receipt of the applications.

10. It is requested that the above mentioned vacancies may be given wide publicity amongst the eligible candidates and the particulars of the suitable and eligible serving persons who are willing to be considered and whose services can be spared, may please be forwarded in the enclosed Proforma (Annexure-II) (in quadruplicate) (if applying for more than one post, **separate application for each post**) together with the following documents/information so as to reach within 45 days from the date of publication of the vacancies in the Employment News/Rozgar Samachar, to Shri P.P.Bose, Under Secretary (Admn.I), Ministry of Power, Room No.225, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001:

- (i) Attested photocopies of Annual Confidential Reports for the last 5 years.
- (ii) Vigilance Clearance Certificate & Integrity Certificate (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India).
- (iii) Whether any penalty has been imposed on the applicant in the last ten years, and if so, details thereof.

11. Applications received after the closing date or without the requisite documents/information will not be considered.

Yours faithfully,

(Hindi version follows)

Encl: As above

(P.P. Bose)
Under Secretary to the Government of India
Tele No.23715327

Copy forwarded for information to:

- i) PS to Minister of State for Power (I/C).
- ii) PPS to Secretary (Power)/ Sr.PPS to AS(DC)/PPS to AS(RNC).
- iii) NIC, Ministry of Power, for hosting the vacancy circular on the web-site of the Ministry. This circular may be kept on the web-site till the end of November, 2014.

(P.P. Bose)
Under Secretary to the Government of India
Tele No.23715327

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS, CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

MEMBER (POWER SYSTEM)

Planning and development of Transmission facilities consistent with national power plans; monitoring of rural electrification; Transmission & Distribution loss reduction; studies for the purpose of appraisal of transmission projects; transmission technology development; design & engineering; standardisation and preparation of model document; renovation and modernization of transmission schemes; construction monitoring of transmission projects; inspection of existing electrical installations in Union Territories and Central Government Departments; investigation of accidents on electrical installations and suggesting remedial measures for their minimization and prevention etc.

******

MEMBER (THERMAL)

Overall thermal power development in the country; updating, development and evaluation of thermal technologies; design & engineering of thermal projects; quality assurance standards and plans; preparation of model documents and standards; thermal projects investigation & ash utilization; monitoring of construction & stabilization of thermal projects and suggesting remedial measures to problems involved; renovation, modernisation and life extension programmes etc.

******

MEMBER (GRID OPERATION & DISTRIBUTION)

Formulation of policies for safe, secure and economic operation of regional grids; integrated operation, control and co-ordination of five regional grids through Regional Power committees; monitoring of delivery of shares from Central Sector projects; intra and inter-regional exchange of power; emergency power assistance; energy accounting on daily and monthly basis; load generation balance and grid disturbance studies; grid code; tariff principles of bulk generation & transmission; monitoring of rural electrification; optimization of distribution network; work relating to Accelerated Power Development & Reforms Programme (APDRP) including 100% metering, energy accounting, evaluation of benefits, quality control; matters relating to telecommunication in Power Sector; telecommunication data acquisition and software support; operation monitoring and performance review of thermal power stations; updating of maintenance procedures; generation data collection; performance analysis; maintenance monitoring etc.

******

ANNEXURE-II

Application for the post of Member ( ) in the Central Electricity Authority

PART - I

CURRICULAM VITAE PROFORMA

1	Name and Address including Telephone Numbers (in Block Letters)		
2	Date of Birth (in Christian Era)		
3	Date of retirement under Central/ State Government/ Parent Organisation Rules		
4	Educational Qualifications		
5	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	Qualifications/Experience required	Qualifications/Experience possessed by the officer
		(1) (2) (3)	
6	Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post		

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/ Institution/Organisation	Post Held	From	To	Scale of Pay and Basic pay	Nature of Duties (in detail)

8. Nature of present employment i.e.
Ad-hoc or Temporary or on Contract basis
or Permanent

9. In case the present employment is held On deputation/contract basis, please state –

a) the date of initial appointment

b) period of appointment on deputation/ Contract

c) name of the parent office/organization to which you belong

10 Additional details about present employment

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

a) Central Govt.
b) State Govt.
c) Autonomous Organisation
d) Government Undertaking
e) Universities/ IITs/ IIMs
f) Others

11. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

12. Total emoluments per month now drawn

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post:

(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).

14. Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and (iv) any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae which are duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the candidate
Address:
Telephone/Mobile No:
Fax No:

Countersigned by the authorised signatory of the Employer with official seal

PART–II

(Name and address of the Office forwarding the application)

Reference No.____________________ Date: __________

Certified that:-

(a) no vigilance case/disciplinary proceedings are pending or contemplated against the above mentioned officer;

(b) no penalty has been imposed on the applicant in the last ten years (If any penalty has been imposed on the applicant please give details);

(c) no penalty is in operation against the applicant as on date (If any penalty is in operation against the applicant, please give details)

Signature ____________________

Name____________________

Designation ____________________

Office____________________

(The Part-II of the application must be signed by a Competent Authority not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India)

****

संं0 ए-35018/3/2012-प्रशा.1 तार-इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली-110001

दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक 05 SEP 2014

प्रति

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
(3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
(4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
(5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
(6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
(7) अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
(8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (विद्युत प्रणाली), सदस्य (थर्मल) एवं सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पदों पर नियुक्ति हेतु नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पुनः विज्ञापन देने के सबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरे जाने के लिए सदस्य (विद्युत प्रणाली) तथा सदस्य (थर्मल) के पदों की रिक्तियां इस मंत्रालय के पत्र संख्या ए.35018/3/2012-प्रशा.। दिनांक 25.07.2013 के द्वारा तथा सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पद की रिक्ति इस मंत्रालय के पत्र संख्या ए.35018/3/2013-प्रशा.। दिनांक 02.01.2014 के द्वारा परिचालित की गई थी।

2. अब, उक्त वर्णित पदों के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। जिन्होंने उक्त वर्णित परिपत्रों के उत्तर में पहले आवेदन किया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा बशर्ते कि वे इसके लिए पात्र हों।

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान 22,400-525-24,500 (संशोधन-पूर्व) [(67,000-79,000 रूपए (संशोधित)] है। इस पद के पदधारी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हकदार होंगे ।

4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा रही है ।

5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा औद्योगिक मामलों से संबधित समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम-से-कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात-

(क) उत्पादक केन्द्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
(ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।

6. **(क)** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों के लिए नियमित आधार पर रू0 18400-500-22400(संशोधन पूर्व) [रू0 37400-67,000+रू0 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद या उच्च पद अथवा वेतनमान;

अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति को विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना भी आवश्यक है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है जिन्होंने संबंधित मानदंड के अनुसार अपेक्षित क्षेत्र संबंधी अनुभव के साथ समूह 'क' में कुल 30 वर्ष सेवा तथा एसएजी में 3 वर्ष की अर्हक सेवा की हो।

7. सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सदस्य (थर्मल) एवं सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) सीईए के पद से जुड़े कार्य एवं उत्तरदायित्व <u>**अनुबंध-I**</u> में दिए गए हैं ।

8. सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी रूप से अंतर्लयन हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा **58 वर्ष** (आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को) होगी ।

9. इस पद के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

10. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ, संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) (यदि एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो **प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन** करें) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर श्री पी. पी. बोस, अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 225, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001. के पास पहुंच जाए-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो उप सचिव, भारत सरकार से नीचे के पद का न हो) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।

11. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

पी.पी. बोस

(पी.पी.बोस)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23715327

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

(i) विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव ।

(ii) सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (डी.सी.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (आरएनसी) के प्रधान निजी सचिव।

(iii) एन.आई.सी. विद्युत मंत्रालय–रिक्ति परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु। कृप्या इस परिपत्र को नवंबर, 2014 के अंत तक वेबसाइट पर रखा जाए।

पी.पी. बोस

(पी.पी.बोस)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23715327

सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्त्तव्य एवं दायित्व

सदस्य (विद्युत प्रणाली)

राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं के साथ संगत पारेषण सुविधाओं की आयोजना एवं विकास; ग्रामीण विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग; पारेषण एवं वितरण हानि में कमी; पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु अध्ययन; पारेषण प्रौद्योगिकी विकास; डिजाइन एवं अभियांत्रिकी; मॉडल दस्तावेज का मानकीकरण एवं तैयारी; पारेषण परियोजनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; पारेषण परियोजनाओं की निर्माण संबंधी निगरानी; संघ राज्य क्षेत्रों और केंद सरकार के विभागों में विद्यमान विद्युतीय संस्थापनाओं का निरीक्षण; विद्युतीय संस्थापनाओं में दुर्घटनाओं की जांच और उनको न्यूनतम करने तथा उनकी रोकथाम हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव।

*****

सदस्य (थर्मल)

देश में समग्र ताप विद्युत विकास; ताप विद्युत प्रौद्योगिकियों का अद्यतन; विकास एवं मूल्यांकन; ताप विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं अभियांत्रिकी; गुणवत्ता आश्वासन मानक एवं आयोजना; मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी, ताप विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण तथा राख का उपयोग; ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं स्थिरीकरण की मॉनीटरिंग और इसमें शामिल समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव; नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि।

सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण)

क्षेत्रीय ग्रिडों के सुरक्षित, सुदृढ़ और मितव्ययी प्रचालन के लिए नीतियां तैयार करना; क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों का एकीकृत प्रचालन नियंत्रण और समन्वयन; केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से हिस्सों की सुपुर्दगी की निगरानी; विद्युत का अंतः और अंतर्क्षेत्रीय विनिमय; आपातकालीन विद्युत सहायता; दैनिक और मासिक आधार पर ऊर्जा लेखा; भार उत्पादन संतुलन और ग्रिड बाधा संबंधी अध्ययन; ग्रिड कोड; थोक उत्पादन और पारेषण के प्रशुल्क संबंधी सिद्धांत; ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी; विद्युत नेटवर्क का इष्टतमीकरण; 100% मीटरिंग, ऊर्जा लेखा, लाभों के मूल्यांकन; गुणवत्ता नियंत्रण सहित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) से संबंधित कार्य; विद्युत क्षेत्र में दूरसंचार से संबंधित मामले; दूरसंचार आंकड़ा प्राप्ति और साफ्टवेयर सहायता; ताप विद्युत केंद्रों की प्रचालन निगरानी और निष्पादन समीक्षा; रखरखाव प्रक्रियाओं को अद्यतन करना; उत्पादन आंकड़ा संग्रहण; कार्यनिष्पादन विश्लेषण; रखरखाव निगरानी आदि।

****

अनुबंध-2

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (   ) के पद हेतु आवेदन पत्र

भाग-I

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित (स्पष्ट अक्षरों में)		
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं । (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं		

7. कालानुक्रम में रोजगार के ब्यौरे । यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित कागज संलग्न करें

कार्यालय/संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार से)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं- क) आरंभिक नियुक्ति की अवधिः ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तारीख ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	

10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधित पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हों तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें । (अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)	
14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी सम्मान/(III)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (त्) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं। (नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद के लिए चयन करते समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पताः.................................
दूरभाष/मोबाइल नं0...............
फैक्स नं0.........................

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयी मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-II

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0.........................

दिनांक....................

प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं है;

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर.........................
नाम.............................
पदनाम.........................
कार्यालय.......................

(आवेदन-पत्र का भाग-II सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)

****